


RBE No.34/2019



PCPO's Sl.No.45/2019

No. E/9(D)/O/ECR/HJP

Dated:- 28.03.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी/ प्रशासन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/ पीडी/ मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/ समस्तीपुर/ हरनौत।
8. Sr.DPO/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
9. उप महाप्रबंधक/ विधि/ पटना।
10. प्राचार्य/ क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/ मुजफ्फरपुर एवं भूली।
11. सभी मुकार्याधी/ कार्याधी/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

विषय : Grant of Transport Allowance to Railway Employees availing concessional Season Ticket/Suburban passes.

संदर्भ : Railway's Boards Lt. No.PC-V/2017/A/TA/1 Dated: 22.02.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेंतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

(पंकज कुमार)
वकाधि/ एम.पी.पी.
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/ हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव/ ईसीआरकेयू/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
2. महासचिव/ एस0.सी0./ एस0.टी0./ एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
3. वकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे/ हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ ओ.बी.सी.एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

06
05-3-19

PCPO


065632

05 MAR 2019

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार

MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय

(Railway Board)/रेलवे बोर्ड



S.No. PC-VII/129
No. PC-V/2017/A/TA/1

RBE No. 34/2019
New Delhi, dated 22-02-2019

The GMs/OSDs/CAO(R)s,
All Indian Railways and PUs.

Sub: Grant of Transport Allowance to Railway Employees availing concessional Season Ticket/Suburban passes.

Ref: Railway Board's letter No. PC-V/97/11/7/12 (Pt.4) dated 27-9-1999 (RBE No 242/99)

References have been received from a few Railways seeking clarification regarding grant of Transport Allowance to Railway employees availing Concessional Season Ticket/Suburban passes. In this regard it is stated that there is no change in the instructions contained in Board's letters dated 12-9-2008 (RBE No.111/2008), 23-01-2009 (RBE No. 16/2009) and 03-8-2017 (RBE No. 84/2017). These orders do not prohibit payment of Transport Allowance to Railway employees availing Concessional Season Tickets/Suburban passes.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate.
3. Hindi version is enclosed.

Ruling

प्रमुकाधि
मुकाधि प्रशा
मुकाधि/आईआर
उप मुकाधि/राज

(Subhankar Dutta)
Deputy Director, Pay Commission-V
Railway Board

उप नं० PC-V/2017/A/TA/1

New Delhi, dated 22-02-2019

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi.

सचिवाने
वित्त अधिकारी

For Financial Commissioner, Railways

OS/Ruling
18/2/19

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

क्र.सं.पीसी-VIII/129
सं.पीसी-V/2017/ए/दीए/1

आरबीई सं. 24/2019
नई दिल्ली, दिनांक: 22.02.2019

महाप्रबंधक/ओएसडी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी भारतीय रेलों और उत्पादन इकाइयां

विषय: रियायती सीज़न टिकट/उपनगरीय पास की सुविधा लेने वाले रेल कर्मचारियों
को परिवहन भत्ता प्रदान करना।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 27.09.1999 का पत्र सं.पीसी-V/97/आई/7/12 (पार्ट 4)
(आरबीई सं.242/99)

कुछ रेलों से पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें रियायती सीज़न टिकट/उपनगरीय पास की सुविधा लेने वाले रेल कर्मचारियों को परिवहन भत्ता प्रदान करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि बोर्ड के दिनांक 12.09.2008 (आरबीई सं.111/2008), 23.01.2009 (आरबीई सं.16/2009) और 03.08.2017 (आरबीई सं.81/2017) में अंतर्विष्ट अनुदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इन आदेशों में रियायती सीज़न टिकट/उपनगरीय पास की सुविधा लेने वाले रेल कर्मचारियों को परिवहन भत्ते का भुगतान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

2. इसे वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(शुभांकर दत्ता)

उप निदेशक, वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड

PEP's no. 45/19
E/9(D)/01/ECR/11/50
dt 22/3/19